न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —एक / 17 R 2221- I-17

हाकिम सिंह पुत्र लोचन सिंह ठाकुर

निवासी ग्राम संदरपुर तहसील व जिला

टीकमगढ म0प्र0

........आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..........अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 16/01/17 को प्रस्तुत

रीडर आफ कोर्ट राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर 16/1/17

16/01/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959, विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.1988 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला टीकमगढ़ के प्र0क0 3/ निगरानी / 1988—89 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

1— यह कि, भूमि खसरा नम्बर 2346/29 क्षेत्रफल 1.619 व राजस्व लगान 4.04 रूपयें में स्थित ग्राम संदरपुर तहसील व जिला टीकमगढ़ पर आवेदक का कब्जा 2.10.1984 के पूर्व कृषि मजदूर होने से उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे।

2— यह कि तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा आवेदक को बिना सूचना दिये बगैर उपरोक्त भूमि का पट्टा बिना अधिकारिता के निरस्त कर दिया गया था जो अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि प्रावधानों के अनुरूप होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-221-एक/2017 जिला टीकमगढ़

हाकिमसिंह विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 3/अपील/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 17-10-1988 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 18/03/19 (आर.के. जैन) सदस्य	